promotion in 1991. Subsequently, one of the candidates declined to accept promotion.

**Representation received by National Commission for Women from Andhra Pradesh**

1627. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the details of budgetary provisions made for the National Commission on Women since its inception, year-wise;

(b) whether it is a fact that the expenditure on administrative overhead is high;

(c) whether any representation has been received from Andhra Pradesh in particular from West Godavari District for action by the National Commission on Women; and

(d) if so, action initiated on such representation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESWARI) : (a) The National Commission for Women was set up on 31-1-92. The final budgetary provisions for the years 1991-92 and 1992-93 were Rs. 11.00 lakhs and Rs. 125.00 lakhs respectively which have been released to them during the concerned financial years. A Budget provision of Rs. 125.00 lakhs has been made for the year 1993-94 out of which an amount of Rs. 20.00 lakhs has already been released to the Commission and a sum of Rs. 42.50 lakhs has also been sanctioned.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**सिन्धी भाषा का विकास**

1628. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान सिन्धी भाषा के विकास की योजनाओं और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है

(ख) क्या सरकार को इस भाषा के विकास के लिए कोई मांग संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (श्रीमती शीलजा) :** (क) सिन्धी भाषा के विकास के लिए इस मंत्रालय और इसके अभिकरणों में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है :–

(i) प्रकाशन और अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए स्वैच्छिक सिन्धी संगठनों को वित्तीय सहायता देना जिनमें सेमिनार, सम्मेलन, अनुरक्षण अनुदान और सिन्धी भाषा का शिक्षण शामिल है;

(ii) सिन्धी लेखकों को पुरस्कारों से सम्मानित करना;

(iii) पुस्तकालयों और संस्थाओं को निशुल्क वितरण हेतु सिन्धी पुस्तकों की बड़ी संख्या में खरीद;

(iv) पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केन्द्र, पुणे में सिन्धी के अध्यापन के लिए सी० आई० आई० एल०, मैसूर द्वारा राज्य सरकारों के सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण;

(v) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा सिन्धी के चुनिन्दा शीर्षकों का अनुवाद तथा प्रकाशन और सिन्धी लघु कथाओं का संग्रह प्रकाशित करना;

(vi) साहित्य अकादमी, दिल्ली द्वारा सिन्धी लेखकों को पुरस्कार और सिन्धी अनुवादकों को इनाम प्रदान करना तथा सिन्धी पुस्तकों का प्रकाशन करना ।

वर्ष 1992-93 के दौरान, मंत्रालय ने अपनी योजनाओं हेतु 10 लाख रुपए उद्दिष्ट किए हैं । तथापि, अकादमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अधीन क्रियाकलापों हेतु भाषा-वार धनराशियों का कोई वितरण उनके द्वारा उद्दिष्ट नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) सरकार को सिन्धी भाषा के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं और उनकी जांच की जाती रही है । इन मांग पत्रों और अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सिन्धी भाषा को बढ़ावा देने और विकास के लिए बड़ौदा में सिन्धी विकास बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है ।

**Centre to Remove Educational Backwardness of Muslims**

1629. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission (UGC) has decided to help Aligarh Muslim University to set up centre to help to remove educational backwardness